तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जावे। जहां तक अज अदालत द्वारा मौका निरीक्षण करने का प्रश्न है तो तहसीलदार समदडी द्वारा उक्त प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते का मौका दो बार देखा गया तत्पश्चात रिपोर्ट अज अदालत में पेश करने से यह न्यायालय स्वंय द्वारा मौका देखा जाना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने को खारिज किया जाता है। तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आवगमन हेतु खसरा संख्या 162 में से रास्ता दिया जाता है तो उक्त रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक होने बताया गया है। अतः तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट के आधार पर खसरा संख्या 162 के खातेदार का पक्षकार बनाया जाता है। प्रार्थीगण वकील आदेशानुसार खसरा संख्या 162 को पक्षकार बनाकर संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करे । पत्रावली वास्ते संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	
21.11.24	**पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक...25.11.2024...को पेश हो!**	
25.11.24 वकालत [illegible]	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकैन उपास्थित। प्रार्थी वकील, संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करे। पत्रावली आइंदा 05.12.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	
29.11.2024 प्रार्थीगण वकील उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	प्रार्थीगणवकील के निवेदन पर पत्रावली आईंदा तलब की गई। प्रार्थीगण [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] कि प्रार्थीगण के आवागमन [illegible] पडोसी [illegible] खसरा संख्या 162 [illegible] का आपस में रास्ता की भूमि के एवज में विनिमय कर रास्ता प्राप्त कर लिया है। अतः प्रार्थीगण उक्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:50:09 IST
Reason: SelfAttested

अनवान वेलाराम v/s मोहनलाल

मुकदमा नंबर 06 / 2016

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आवेदन को आगे चलाना नहीं चाहते है। तथा आवेदन जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है। हमने प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थीगण वकील आवेदन की कार्यवाही जारी नही रखना चाहते है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:50:09 IST
Reason: SelfAttested